

कार्यालय जोधपुर नगर निगम दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

दिनांक:-

क्रमांक:-

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

U. B. No. DLB2223WSOB24857

नगर निगम जोधपुर दक्षिण के विभिन्न सीवर रिपेयर कार्यो हेतु मड पम्प उपलब्ध करवाने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते www.eproc.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

Lu
आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

दिनांक:- 05/01/23

क्रमांक:- 3492-3503

प्रतिलिपि:-

- 1 निजी सहायक, आयुक्त दक्षिण नगर निगम जोधपुर।
- 2 अति आयुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 3 उपायुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 4 अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 5 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 6 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 7 सहायक अभियंता (यांत्रिक) नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड करावे।
- 8 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs, www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
- 9 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावे।
- 10 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 11 गार्ड फाईल।

Lu
आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय जोधपुर नगर निगम दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक:- 3492

दिनांक:- 05/01/23

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनाकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	06/01/2023	5.00 Pm.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	06/01/2023	5.30 Pm.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	13/01/2023	3.00 Pm.
निविदा शुल्क/घरोहर राशि/ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क के डी.डी/बैंकर्स चैक की मूल प्रति गैरेज शाखा दक्षिण नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	13/01/2023	3.30 Pm.
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	13/01/2023	4.00 Pm.

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-


क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रुपये में)	घरोहर राशि (रुपये में)	निविदा शुल्क (रुपये में)	प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)	कार्य की अवधि
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण के विभिन्न सीवर रिपेयर कार्यों हेतु मड पम्प उपलब्ध कराने की निविदा	10.00 लाख	20000/-	500/-	500/-	एक माह

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करानी होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदाये खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	500/-	डिमाण्ड ड्रॉपट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	20000/-	डिमाण्ड ड्रॉपट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई-टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	500/-	डिमाण्ड ड्रॉपट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत्त दरे निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना, सेवानिवृति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवाये लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।


 आयुक्त
 नगर निगम जोधपुर दक्षिण





कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण
(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर)
(ceo.nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

नगर निगम जोधपुर दक्षिण के विभिन्न सीवर रिपेयर कार्यों हेतु मड पम्प उपलब्ध कराने की निविदा

1 कार्य की परिभाषा :-

- 1.1 संवेदक को जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्डों में सीवर रिपेयर कार्य हेतु मड पम्प उपलब्ध करवा पानी निकालने का कार्य सम्पादित करना होगा

2 निविदा प्रस्तुत करना :-

1. निविदा द्वि-स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनिक बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनिकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर निर्धारित प्रारूप (BOQ) में ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :-

“आयुक्त”
नगर निगम जोधपुर दक्षिण
संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फ़ैक्स, ई-मेल, फोन नम्बर अंकित करें):-

.....
.....
.....

3 संवेदक की पात्रता एवं तकनिकी निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड किये जावेंगे :-

- 3.1 निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई-टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर चैक की स्केन प्रति।
- 3.2 निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
- 3.3 फर्म का गत 3 वर्षों में औसत टर्न ओवर 25.00 लाख रुपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण स्वरूप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षों की सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स सीट की स्केन प्रति।
- 3.4 संवेदक/फर्म के स्वयं के नाम कम से कम एक 40-50 HP Engine के मड पम्प का पंजिकृत स्वामित्व तथा आवश्यकता होने पर मांग अनुसार अन्य सभी पम्पों को उपलब्ध करवाने का घोषणा पत्र (परिशिष्ट 'ब') प्रस्तुत करना होगा।





- 3.5 निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्धसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिये तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम दक्षिण में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम दक्षिण में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र रूपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्केन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
- 3.6 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।
- 3.7 संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।
- 3.8 निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।

नोट :- उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक निर्धारित तकनीकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड करने होंगे। उपरोक्त दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनीकी बिड के साथ अपलोड नहीं करने या अपलोड किये गये दस्तावेजों पर स्पस्टीकरण हेतु निविदा समिति निविदादाता से दस्तावेज मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पस्टीकरण हेतु दस्तावेज दी गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा दाता को तकनीकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।

4. सामान्य शर्तें :-

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा शुल्क व ई-प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे संबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
5. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम-शर्तों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वित्तीय बिड में प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि के लिए स्थिर (फिक्स) रहेगी जो कि किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नहीं होगी। प्रस्तुत दरें जी. एस.टी. के अतिरिक्त सभी करों सहित होगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज शाखा में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होंगे। जीएसटी लागू होने पर पृथक से देय होगा। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. संविदा की अवधि एक माह की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढ़ाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियाँ होने पर किसी भी समय नगर निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

- 10 नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।
- 11 नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :-
- (क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।
- (ख) निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी/शेड्यूल बैंक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।
- (ग) नगर निगम बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
- (घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
- (ङ) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
- 12 सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।
- 13 यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबन्ध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो नगर निगम जोधपुर दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
- 14 कार्यादेश के 15 दिवस में निविदा शर्तों की पालना करते हुए सम्बन्धित कार्यों हेतु पम्पों को लगाते हुए कार्य का संचालन शुरू करना होगा जिनका परीक्षण Site Engineer द्वारा किया जायेगा। सभी पम्प शर्तों अनुसार होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। पम्प निविदा शर्तों, Technical Specification के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 15 सफल निविदादाता की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नहीं किया जायेगा। निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि नगर निगम कार्यालय समय में गैरेज शाखा दक्षिण से प्राप्त की जा सकेगी।
- 16 **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):-** प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा-
- (क) जब निविदा के किसी अनुबन्ध और शर्तों को भंग किया जाता है।
- (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रूप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
- (ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
- (घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 17 निम्न स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
- (1) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तों में किसी तरह का संशोधन करता है।
- (2) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
- (3) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
- (4) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
- (5) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।
- 18 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि-

- 19 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि-
 - (1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।
 - (2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
 - (3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
- 20 समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम जोधपुर दक्षिण उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्धिपत्र/संशोधन ई- प्रोक्योरमेंट/SPPP पोर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
- 21 नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
- 22 निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 23 सफल निविदादाता द्वारा निश्चित अवधि पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
- 24 निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 25 निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013, GF&AR तथा वित्त विभाग के सभी नियम यथा परिवर्तन लागू होंगे।
- 26 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।
- 27 किसी भी विवाद में प्रशासक/आयुक्त/महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

5. पम्प संचालकों के सम्बंध में निविदादाता को निर्देश

1. संचालक अनुभवी एवं पम्प चलाने में निपुर्ण होना आवश्यक है।
2. आवश्यक होने पर संचालक को 24 घण्टे संचालन का कार्य करना होगा। जिसके लिए संवेदक मना नहीं कर सकेगा।
3. पम्प की दैनिक लोगबुक पम्प के साथ रखी जायेगी जिसमें पम्प को उपयोग में लेने वाले Site Engineer द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का प्रमाणीकरण किया जायेगा।
4. ड्युटी पर तैनात कोई भी पम्प संचालक किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं बाल श्रमिक कार्य पर नहीं लिया जावेगा। संवेदक द्वारा लगाये गये सभी पम्प संचालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होंगे। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर Site Engineer के निर्देश पर संचालक को बदलना होगा तथा रु 500/- प्रति संचालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काटी जायेगी। पम्प संचालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए एवं आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें। संवेदक द्वारा उपलब्ध पम्प एवं संचालक कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार बदलना होगा।
5. पम्पों के लिए ईंधन (डिजल) निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं पम्पों में मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
- 7 संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये पम्प एवं संचालको से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
- 8 किसी भी तरह की शासकीय या आर्थिक हानि के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
- 9 कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने आदि पर सभी प्रकार का उत्तरदायित्व

- 10 संवेदक बिल भुगतान हेतु Site Engineer को प्रस्तुत करेगा।
 11 प्रस्तुत मड पम्पों की क्षमता At Least 4500 LPM होना चाहियें।
 14 पम्प एवं संचालकों का विवरण:-

(अ) निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व Site Engineer को प्रस्तुत करनी होगी।

क.स.	पम्प संचालक का नाम व पता	पम्प क्षमता	लाइसेन्स की वैधता दिनांक
1			
2			
3			
4			

पम्पों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण निम्न प्रारूप में देना होगा।

(ब) उपलब्ध वाहनों का विवरण:-

क.स.	पम्प मेक	हॉर्स पावर (BHP)	पम्प मॉडल वर्ष	पम्प मालिक का नाम
1				
2				
3				
4				

- 15 संवेदक द्वारा पम्प संचालकों/कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होंगें। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान वाहन चालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
 16 सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नगर निगम अधिकारियों को सभी पम्पों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा। भौतिक सत्यापन कराये वगैर एवं बिना निरीक्षण पम्प कार्य पर लगाने पर किराया देय नहीं होगा।

6. कार्य विधि, कार्य प्रमाणन एवं भुगतान :-

- सामान्यतया पम्पों से सफाई कार्य का संचालन जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र में 12 घण्टे (प्रातः 7 बजे से सांय 7 बजे) के कुल समय में आवश्यकतानुसार 8 घण्टे की कुल कार्य अवधि के लिए किया जायेगा। उक्त कार्य की समयावधि जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था के अनुसार परिवर्तनीय होगी। आपातकालीन स्थिति में पम्प किसी भी समय जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र में किसी भी जोन में Site Engineer को उपलब्ध करवाने होंगे। पम्प कार्य का निर्धारण निगम के Site Engineer करेगें उसी अनुसार कार्य करना होगा।
- किये गये कार्य का लोगबुक में विवरण प्रस्तुत करने पर एक दिन में 8 घण्टों के अनुसार भुगतान किया जायेगा। अधिक या कम कार्य करने पर घण्टे अनुसार अनुपातिक भुगतान या कटौती की जायेगी
- पम्पों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी निगम दक्षिण की होगी। प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पश्चात पम्प उक्त स्थल पर रिपोर्ट करेगें।
- निविदादाता प्रतिदिन लॉग बुक को भरे जाने एवं पम्प Site Engineer से प्रमाणित कराये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।
- प्रत्येक माह का बिल जोन के मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा लोग बुक में हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण उपरान्त GPS रिपोर्ट के साथ गैराज प्रभारी को आगामी 20 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।

91. 

6. डीजल इंजन पम्प 40 से 50 HP तक के होने आवश्यक है।
7. पम्पो की पम्पींग क्षमता 4500 LPM तक होनी एवं सक्सन एवं डीलीवरी 6" की होनी आवश्यक होगी।

7. तकनीकी विवरण :-

- (1) वाहनों के सभी स्पेयर पार्टस, उपसाधन, टायर ट्यूब, बैटरियों, ऑयल, ल्यूब्रिकेन्ट्स, पार्टस मरम्मत, चालक एवं पम्पों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होंगे।
- (2) उपलब्ध करवाये गये पम्प तकनीकी स्तर पर आधारभूत शर्तों से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनीकी रूप से आधारभूत शर्तों अनुसार ही माना जायेगा।
- (3) मांगी गयी क्षमता अनुसार No of Engine Cylinder को चयन करने का निर्णय संवेदक का होगा।

8. दुर्घटना

- 8.1 कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
- 8.2 दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर पम्प से हुई टूट फूट के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 8.3 दुर्घटना में पम्प के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह का टूट फूट होने पर संवेदक दुसरा पम्प उपलब्ध करवायेगा।

9. निगम शक्तियाँ एवं शास्तियां :-

1. कार्य स्थल पर किसी प्रकार के हादसे के लिए संवेदक जिम्मेदार होगा। किसी भी स्तर पर नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। संवेदक वाहन पर कार्य पर लगे श्रमिकों/चालकों को सम्बंधित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवायेंगे। इनके साथ किसी भी तरह का हादसा होने पर संवेदक जिम्मेदार होगा। किसी भी क्लेम के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
2. कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम अधिकारी किसी भी समय वाहनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होंगे।
3. नगर निगम के कार्य समय में बिना पूर्व स्वीकृति के निजी कार्य करने एवं पम्पों का दुरुपयोग होने पर उक्त दिवस का किराया देय नहीं होगा तथा रूपये 1000/- प्रति पम्प प्रतिदिन शास्ती काटी जायेगी।
4. उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा निर्देशित समय पर पम्पों के नहीं पहुँचने अथवा समय पूर्व पम्पों के हटा देने पर रूपये 500/- प्रतिघण्टे प्रति पम्प की पेनल्टी लगाई जायेगी।
5. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए फर्म के विरुद्ध RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तें यथा परिवर्तन लागू होगी।
7. आवश्यकता होने पर पम्पों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। पम्पों की संख्या में/कार्य क्षेत्र में बिना कारण बताये कमी करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा।

10. निविदा प्रपत्र में संशोधन :-

1. नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।




10. निविदा प्रपत्र में संशोधन :-

- 1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
- 2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

dr
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर निविदा प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर



कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्य का नाम:- नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में सिवर रिपेयर एवं सफाई कार्य हेतु एक माह हेतु मड पम्प उपलब्ध कराने हेतु निविदा।

वितीय बिड

क.स.	कार्य का प्रकार	दर (GST के अतिरिक्त सभी करों सहित)
1	जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र में सिवर सफाई एवं रिपेयर कार्य हेतु एक माह के लिये मड पम्पों की आपूर्ति मय समस्त व्यय डीजल के अलावा(45-50H.P.)	(1).....रूपये पम्प संचालन प्रतिदिन 8 घण्टे की दर।
2	जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र में सिवर सफाई एवं रिपेयर कार्य हेतु एक माह के लिये मड पम्पों की आपूर्ति मय समस्त व्यय डीजल के अलावा(80-100H.P.)	(1).....रूपये पम्प संचालन प्रतिदिन 8 घण्टे की दर।

1. दरों में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होंगे। जीएसटी लागू होने पर पृथक से देय होगा।
2. दर ऑनलाइन अपलोड किये गये BOQ में ही भरनी होगी।

निविदादाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

कार्यालय जोधपुर नगर निगम दक्षिण

-:: अण्डर-टेकिंग ::-

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैंने/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमने (1) अपनी निविदा दर की वैधता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि स्वयं के नाम डम्पर के अतिरिक्त ओर कार्य की आवश्यकतानुसार डम्पर की मांग होने पर अन्य व्यक्ति/फर्म से डम्पर किराये पर लेकर उपलब्ध करा देंगे।

मुझे/हमे यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य है तथा सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम, जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक :

निविदादाता का नाम
व हस्ताक्षर मय सील



Jodhpur Municipal Corporation South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to Commissioner, Jodhpur Municipal Corporation South for procurement of Contract for supply of 6 – Wheeler dumpers for sanitation work and other work in Municipal Corporation for two years in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized 'A' and '9' followed by a checkmark and a flourish.



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 22, बुधवार, शाके 1943-जनवरी 12, 2022
Pausa 22, Wednesday, Saka 1943- January 12, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 12, 2022

G.S.R.398 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2022.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 75.- In rule 75 of the said rules,-

- (i) in proviso to sub-rule (2), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted; and
- (ii) in proviso to clause (f) of sub-rule (3), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted.

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]

By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

1936

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग




क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23-12-2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी - एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।


चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं ।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें ।
16. रक्षित पत्रावली ।


23/12/2020
संयुक्त शासन सचिव

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :-----

Name :-----

In the capacity of :-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal -----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

